आज़ादी का अमृत महोत्सव	कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद – 500009 **OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS** **No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009** **दूरभाष/TELE: 040-27847957 EX: 315 फैक्स/FAX:040-27810499** **ई-मेल/Email: secd-ansn-cda@nic.in**	DEPARTMENT

CIRCULAR

No. AN/I/1094/Assn/Corr Date: 15.03.2023

To,

The CDA, IT&SDC, Sec'bad,
All Sections in Main Office.
All Sub-Offices of Secunderabad/ Hyderabad/Suryalanka/Eddumailarm/Tirupati
(Except EME, AOC & Vizag Offices)

Sub: **Verification of membership of Staff association under check off system – Reg.**

* * * * *

As per extant orders, the staff members who are willing to become a member of a recognized staff association may give consent for joining the association in April and for deduction of membership subscription under check off system in the prescribed format. Similarly, the existing members of any recognized association may withdraw or change their membership only in the month of April. **Shri D Srinivasa Rao, Accounts Officer** has been nominated for dealing with the process of exercising option. The following guidelines/instructions are issued in this regard:-

1. Every staff member desiring to become a member of a particular Service Association has to give his/her consent in the prescribed format to be obtained from the above nominated officer.
2. The option should be exercised in April and before closing of the office on **28th April 2023** and the letter of authorization in the prescribed format completed in all respects has to be handed over to the nominated officer on or before **28.04.2023**.
3. The option once exercised will remain valid for all the years to come unless withdrawn or changed by the concerned individual.
4. Every individual should only use the serially numbered option form issued by the Administration to the nominated officer and there should be no overwriting/cutting in the forms. Forms having overwriting/cutting would be treated as invalid.
5. The numbered option form signed by the individual should be authenticated by the authorized functionary of the concerned Association in the presence of nominated officer of the Administration.
6. In order to provide the requisite number of numbered option forms, a list indicating the names of the individuals who intends to exercise the option will be provided by the Staff Association to the nominated officer.
7. The decision of the nominated officer is binding on the Association unless there is any major disagreement.

Contd..

The AAOs of the sections are requested to bring this contents of the circular to the notice of all staff members serving under their control and their dated initials of having noted the contents of this circular may be obtained and recorded.

A confirmation in this regard may please be furnished by **24.03.2023.**

Receipt of the circular may please be acknowledged.

ACDA (AN)

Copy to :-

1 The General Secretary,
AIDAA(CB) Pune
Branach Main Office, Local
Secunderabad

2 The General Secretary,
AIDAEA, Kolkata Branch

With a view to have an assessment of number of forms required, you are requested to furnish a list showing the names of the individuals intending to exercise the option to the nominated officer, by 24.03.2023.

Sd/-
(K. Ramakrishna)
Accounts Officer (AN)

	कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009 OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009 दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275	G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

परिपत्र

सं.प्रशा/।/1094/संघ/पत्राचार

दिनांक : 15.03.2023

सेवा में,
र.ले.नि., आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
सिकंदराबाद/हदराबाद/सूर्यलंका/यदुमैलारम/तिरुपति स्थित सभी अधीनस्थ कार्यालय
(ई.एम.ई. तथा से.आ.कोर तथा वैज़ाग स्थित कार्यालयों के अतिरिक्त)

विषय : चेक ऑफ पद्धति के अधीन कर्मचारी संघ की सदस्यता का सत्यापन - के संबंध में ।

*****

विद्यमान आदेशों के अनुसार, जो कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य बनना चाहते है वे संघ में शामिल होने तथा सदस्यता अभिदान की कटौती के लिए, चेक ऑफ पद्धति के अधीन अपना सहमति पत्र, विहित प्रपत्र में, अप्रैल के महीने में दे सकते है । उसी प्रकार, जो कर्मचारी पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं वे केवल अप्रैल के महीने में अपनी सदस्यता के आहरण अथवा सदस्यता को बदलने का विकल्प दे सकते हैं । **श्री डी. श्रीनिवास राव, लेखा अधिकारी** को विकल्प के प्रयोग की प्रक्रिया पर कार्रवाई करने के लिए नामांकित किया गया है । इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक अनुदेशों को जारी किया जाता है :-

1. उपरोक्त नामांकित अधिकारी से विहित प्रपत्र प्राप्त करके प्रत्येक कर्मचारी को किसी सेवा संघ का सदस्य बनने के लिए अपना सहमति-पत्र देना होगा ।

2. उपरोक्त विकल्प का प्रयोग अप्रैल के महीने में ही दिनांक 28 अप्रैल 2023 से पूर्व किया जाना अनिवार्य है तथा विहित प्रपत्र में प्राधिकरण पत्र, पूरी तरह भरकर, उपरोक्त नामांकित अधिकारी को दि. 28.04.2023 तक प्रस्तुत कर दिया जाना अनिवार्य है ।

3. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प आने वाले सभी वर्षों के लिए वैध माना जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी उसे आहरित अथवा बदल न दे ।

4. नामांकित अधिकारी द्वारा जारी किया गया क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्र प्रत्येक कर्मचारी द्वारा मुद्रित विकल्प पत्र प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए तथा फार्म में कोई कटाई/छॅटाई नहीं की जानी चाहिए । फार्म पर कोई कटाई/छॅटाई पाये जाने पर उसे अमान्य माना जाएगा ।

5. कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्र पर नामांकित अधिकारी के समक्ष संबंधित संघ के प्राधिकृत अधिकारी का सत्यापन आवश्यक है ।

6. क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्रों को आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी संघ द्वारा विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों के नामों की सूची नामांकित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी ।

7. नामांकित अधिकारी का निर्णय संघ के लिए मान्य होगा जब तक कोई बड़ी असहमति पैदा न हो ।

जारी है....2..

सभी अनुभागों के सहायक लेखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के अंशों को उनके अधीन सेवारत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं तथा इस परिपत्र के अंशों को नोट करवाकर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त करें और अपने पास अभिलेख में रखें ।

इस संबंध में अनुपालन की पुष्टि दिनांक 24.03.2023 तक प्रस्तुत करें ।

परिपत्र की पावती दें ।

निखिल दुबे

रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक [प्रशा0]

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव
   अ.भा.र.ले.स [सी.बी], पुणे
   शाखा मुख्य कार्यालय [स्थानीय]
   सिकंदराबाद
2. मुख्य सचिव
   अ.भा.र.ले.का.सं., कोलकाता शाखा

} फार्मों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए आपसे अनुरोध है कि जिन कर्मचारियों द्वारा विकल्प दिया जाएगा उनकी सूची नामांकित अधिकारी को दिनांक 24.03.2023 तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

हस्ता/-
(के. रामकृष्णा)
लेखा अधिकारी [प्रशा0]